न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला –अजमेर(राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र 116 / 2021(2021 / 366)

1. कमला पुत्री श्री रामदयाल
2. सायरी पुत्री श्री रामदयाल

समस्त जाति धाकड निवासी काबरिया तहसील केकडी जिला अजमेर।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. रामदेव पुत्र श्री रामदयाल जाति धाकड निवासी काबरिया तहसील केकडी जिला अजमेर।
2. प्रधान पुत्र श्री रामदयाल जाति धाकड निवासी काबरिया तहसील केकडी जिला अजमेर।
3. माया पत्नी श्री लादूराम जाति खाती निवासी बघेरा तहसील केकडी जिला अजमेर।
4. कंचन देवी पत्नी श्री गोपाल जाट निवासी काबरिया तहसील केकडी जिला अजमेर।
5. श्रीमान तहसीलदार साहब केकडी तहसील कार्यालय केकडी।
6. श्रीमान उपपंजीयक महोदय, केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर।
7. सीमा देवी पत्नी विकास जाति धाकड नि[illegible]सी काबरिया तहसील केकडी जिला अजमेर।

——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः–1. श्री अब्दुल सलीम गौरी – वकील प्राथी

2. श्री हेमन्त जैन –वकील अप्रार्थी

–ःआदेशः–

दिनांक–26.4.2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,188,53,209,92ए राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया उसी के साथ यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के निस्तारण तक चाही गई। निम्न वर्णित आराजीयात वाके ग्राम नयागांव तहसील केकडी जिला अजमेर का विवरण निम्न प्रकार है।

खाता संख्या (नया–पुराना)	खसरा नंबर	रकबा	किस्म
123–66	592 / 202	0.86	बारानी उत्तम
83–66	202	0.86	बारानी उत्तम

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि उपरोक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 के पिता स्वर्गीय श्री औंकार की आराजीयात है। जो प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 2 के हिस्सनुसार काब्जे काश्त आधिपत्य स्वामित्व में चली आ रही है स्वर्गीय [illegible] है।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.05.30 11:35:25 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

रामदयाल पुत्र श्री ओंकार (फोत)

लाडा पत्नी फोत	कमला पुत्री	रामदेव पुत्र	सायरी पुत्री	प्रधान पुत्र

उक्त वाद वर्णित आराजीयात पुराने खसरा नंबर 232मिन, 232मिन, जो संवत् 2019 से 2027 वर्किंग जमाबंदी के अनुसार उक्त आराजीयात वादी के पिताजी स्वर्गीय रामदयाल पुत्र औंकार के नाम दर्ज है। इस प्रकार उक्त आराजीयात अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की स्वयं की आराजीयात नही होकर प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 2 की पुश्तैनी आराजीयात है। जिसमें प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 2 का 1/4 हिस्सा है राजस्व रेकार्ड का अवलोकन करने के बाद यह पता चला कि प्रार्थीगण का नाम इन्द्राज ना होने से बिना उनकी जानकारी के अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने उक्त वर्णित आराजीयात को मिथलेश कंवर को विक्रय कर दिया था तब उक्त विवाद के सम्बन्ध में एक दीवानी वाद वर्ष 2017 में प्रस्तुत किया गया तब उक्त वर्णित आराजीयात को आपसी समझाईश से मिथलेश कंवर ने उक्त वर्णित आराजीयात में से 4 बीघा लादी देवी तथा 4 बीघा ,सीमा पत्नी विकास के नाम जारये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान कर दिया। तत्पश्चात उक्त वर्णित आराजीयात का शेष हिस्सा सवा दो बीघा अप्रार्थी संख्या 01 व 02 ने डायरेक्ट मिथलेश कंवर के जरिये अप्रार्थी संख्या 03 को बेचान करवा दी परन्तु उक्त वर्णित आराजीयात का कब्जा हक आधिपत्य एवं स्वामित्व आज भी प्रार्थीगण व सीमा देवी का बादस्तूर चला आ रहा है। अप्रार्थीगण यह जानते हुवे कि उक्त वर्णित आराजीयात पुश्तैनी है तथा वर्तमान में भी उक्त आराजीयात का स्वामित्व प्रार्थीगण व सीमा के आधिपत्य मे है इसके बावजूद अप्रार्थीगण उक्त आराजीयात का कुल रकबा सवा छरू बीघा बिना प्रार्थीगण के सहमति के बेचान कर दिया। अप्रार्थी संख्या 03 ने राजस्व रेकार्ड में अपना नाम इन्द्राज होने का फायदा उठाते हुवे अप्रार्थी संख्या 04 को सवा छरू बीघा अवैध बेचान कर दिया जो कि प्रारम्भ से ही शून्य है क्योकि उक्त वर्णित आराजीयात का विधिक रूप से आज तक विधिवत बटवारा नही हुआ है और उक्त आराजीयात पुश्तैनी होने के नाते उक्त वर्णित आराजीयात कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 बराबर के हिस्सेदार है। अप्रार्थी संख्या 03 ने राजस्व रेकार्ड म नाम इन्द्राज होने का फायदा उठाते हुवे अप्रार्थी संख्या 04 को सवा छरू बीघा बेचान कर दिया तथा अप्रार्थी संख्या 04 वर्तमान मे नामान्तकरण खुलवाने पर पर आमादा है तथा उक्त आराजीयात अप्रार्थी संख्या 4 ने उपरोक्त वाद वर्णित आराजीयात को अन्यत्र बेचान करने पर आमादा हुई व प्रार्थीगण को धमकी दी कि मै उक्त आराजीयात का अन्यत्र बेचान करके रहूंगी क्योंकि उक्त आराजीयात की रजिस्ट्री मेरे नाम दर्ज है। जिसका उलहाना देने पर अप्रार्थी संख्या 4 नही मानी और बेचान करने की धमकी दी जिस पर प्रार्थीगण ने अन्य अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 से राब्ता कायम किया लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 ने भी अप्रार्थी संख्या 4 के उक्त अवैध कृत्य में सम्मिलित होना जाहिर किया। हाल ही मे आराजीयात के भाव उंचे होने की वजह से अप्रार्थी संख्या 4 ने धमकी दी कि वाद वर्णित आराजीयात की रजिस्ट्री मेरे नाम दर्ज हो चुकी है उक्त आराजीयात की रजिस्ट्री के जरिये अपने नाम नामान्तकरण खुलवाकर अन्यत्र व्यक्ति को बेचान कर दूंगी और तुम्हारा कोई वास्ता सरोकार नही है इसलिए तुम जमीन से कब्जा हटा लो नही. तो मै जबरन कब्जा हटवा दूगी। और कहा कि उक्त आराजीयात की रजिस्ट्री मेरे नाम पर ही है तुम्हारा या तुम्हारे भाई बहन का नाम उक्त आराजीयात में नही है। लेकिन अप्रार्थी संख्या 3 मेरे साथ है इसलिए मै वाद वर्णित पुश्तैनी आराजीयात को बेचान करके रहूगी। अतः वाद पेश करना लाजिमी आया है। अप्रार्थी संख्या 3 व 4 की नियत बद हो गई है। तथा वाद वर्णित पुश्तैनी आराजीयात की रजिस्ट्री अप्रार्थी संख्या 4 के नाम करवाने से उक्त आराजीयात का नामान्तकरण खुलवाने पर आमादा है रजि... का नाजायज फायदा उठाते हुवे आराजीयात

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.05.30 11:35:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

के प्रार्थीगण के हिस्से के उपयोग उपभोग में नाजायज रूप से बाधा उत्पन्न कर रही है तथा आराजीयात को अन्यत्र हस्तान्तरित अथवा अंतरित करने पर आमादा है। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा वाद वर्णित आराजीयात में प्रार्थीगण के हिस्से की आराजीयात को अन्यत्र हस्तान्तरित अथवा अंतरित करने, प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग में बाधा कारित करने या प्रार्थीगण को बेदखल करने से नही रोका गया तो प्रार्थीगण को अपूर्ति यूक्त व अनिश्चित माप दण्ड वाली क्षति होगी। दावे ,झगडे ,मुकदमे ,अनेका नेक कार्यवाहीयो का सामना करना पडेगा। प्रार्थीगण अपने हक हिस्से की आराजीयात से जबरन बेदखल हो जायेगी। प्रार्थीगण को वाद वर्णित आराजीयात के 1/4 हिस्से की आराजीयात का प्रार्थीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना एंव इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में नाम दर्ज किया जाना न्याय हेतु आवश्यक है। तथा प्रार्थीगण का 1/4 हिस्सा , अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का 1/4 हिस्सा होने के कारण आराजीयात का मौके पर बटवारा किया जाकर राजस्व रेकार्ड अलग अलग बनाया जाकर माल गुजारी कायम किया जाना न्याय हित में आवश्यक व प्रार्थीगण के संयुक्त काश्त मे बाधा डालने व विभाजन हुवे बिना हस्तान्तरण करने से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाना आवश्यक एंव न्यायोचित है। सदैव के लिए अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण के हक हिस्से की आराजीयात को अन्यंत्र हस्तान्तरित अथवा अंतरित करने से व प्रार्थीगण के कब्जे काश्त स्वामित्व व आधिपत्य किसी प्रकार की बाधा कारित करने से नही रोका गया तो प्रार्थीगण को अजहद क्षति होगी जिसका मुद्रा मे मूल्याकंन करना मुश्किल होगा। प्रार्थीगण ने दिनांक 04.09.2021 को अप्रार्थी संख्या 1 व अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 5 तथा हल्का पटवारी ग्राम काबरिया को एक रजिस्स्टर्ड नोटिस भी उक्त आशय का प्रेषित किया तत्पश्चात अप्रार्थी संख्या 4 ने दिनांक 07.09. 2021 को प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न की तथा इमरोज अप्रार्थी संख्या 4 ने प्रार्थीगण को धमकी दी कि मै उक्त वाद वर्णित पुश्तैनी आराजीयात का नामान्तकरण खुलवाउंगी तथा उक्त आराजीयात का बेचान करूंगी तथा अप्रार्थी संख्या 3 ने भी अप्रार्थी संख्या 4 के उक्त अवैध कृत्य में साथ दिया और मना करने पर अप्रार्थीगण संख्या 3 व 4 आमादा फिसाद हुवे तव वाद हेतु कारण उत्पन्न हुआ एंव दिन प्रतिदिन उत्पन्न हो रहा है।यह कि अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा वाद वर्णित आराजीयात में प्रार्थीगण के हिस्से की आराजीयात को अन्यत्र हस्तान्तरित अथवा अंतरित करने, प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग में बाधा कारित करने या प्रार्थीगण को बेदखल करने से नही रोका गया तो प्रार्थीगण को अपूर्ति यूक्त व अनिश्चित माप दण्ड वाली क्षति होगी। दावे ,झगडे ,मुकदमे ,अनेका नेक कार्यवाहीयो का सामना करना पडेगा। प्रार्थीगण अपने हक हिस्से की आराजीयात से जबरन बेदखल हो जायेगी। प्रार्थीगण को वाद वर्णित आराजीयात के 1/4 हिस्से की आराजीयात का प्रार्थीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना एंव इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में नाम दर्ज किया जाना न्याय हेतु आवश्यक है। तथा प्रार्थीगण का 1/4 हिस्सा , संख्या 2 लगायत 3 का 1/4 हिस्सा होने के कारण आराजीयात का मौके पर बटवारा किया जाकर राजस्व रेकार्ड अलग अलग बनाया जाकर माल गुजारी कायम किया जाना न्याय हित में आवश्यक व प्रार्थीगण के संयुक्त काश्त मे बाधा डालने व विभाजन हुवे बिना हस्तान्तरण करने से जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा रोका जाना आवश्यक एंव न्यायोचित है सदैव के लिए गण को प्रार्थीगण के हक हिस्से की आराजीयात को अन्यंत्र हस्तान्तरित अथवा अंतरित करने से व प्रार्थीगण के कब्जे काश्त स्वामित्व व आधिपत्य किसी प्रकार की बाधा कारित करने से नही रोका गया तो प्रार्थीगण को अजहद क्षति होगी जिसका मुद्रा मे मूल्याकंन करना मुश्किल होगा। प्रतिवादी संख्या 1 ने दिनांक 25.4.2017 को प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न की तथा इमरोज संख्या 1 ने प्रार्थीगण को धमकी दी कि मै उक्त वाद वर्णित पुश्तैनी आराजीयात का बेचान करूंगी तथा संख्या 2 लगायत 3 ने भी संख्या 1 के उक्त अवैध कृत्य में साथ दिया और मना करने पर गण संख्या 1 लगायत 3 आमादा फिसाद हुवे तव उत्पन्न हुआ एवं दिन प्रतिदिन उत्पन्न हो रहा है। प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में बाधा [illegible] विभाजन हुवे बिना हस्तान्तरण करने

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Panchoh
Date: 2022.05.30 11:35:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

से जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा गण को रोका जाना आवश्यक एंव न्यायोजित है प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र लाजमी आया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थीगण को अन्तरिम व्यादेश बाबत सुना गया। प्रकरण मे कानूनी बिन्दू निहित होने से अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम व्यादेश से पाबन्द किया गया। तथा अप्रार्थीगण को जवाब हेतु नोटिस जारी किये। अप्रार्थी संख्या 3 व 4 की और से जवाब प्रस्तुत किया तथा अप्रार्थी संख्या 1,2,5,6 अनुपस्थित रहे।

अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से प्रार्थना पत्र का जवाब दिया जिसमे प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 2 के कथन जैसे वर्णित किये गये, यहां तक स्वीकार है कि आराजी खाता संख्या 123–66 खसरा नंबर 592/202 व आराजी खाता संख्या 83–66 खसरा नम्बर 202 रकबा कुल 1.72हैक्टर वाके ग्राम काबरिया में स्थित है शेष कथन जैसे वर्णित किये गये कतई गलत एवं असत्य है अतः अप्रार्थी संख्या 3 को स्पष्ट रूप से अस्वीकार है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का वाद वर्णित आराजीयात में कोई कब्जा, हक व अधिकार नही है। वाद वर्णित आराजीयात अप्रार्थी संख्या 3 ने लादी देवी पत्नी रामदेव धाकड निवासी काबरिया एवं मिथलेश कंवर पत्नी सुमेरसिंह राजपूत निवासी केकडी से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 20.5.2019 के खरीद कर उसका कब्जा प्राप्त किया था तथा आराजी खसरा नम्बर 202 में अप्रार्थी संख्या 3 का 3/4 हिस्सा तथा आराजी खसरा संख्या 592/202 में उसका 1/2 हिस्सा था तथा अपने हिस्से की सम्पूर्ण आराजीयात को अप्रार्थी संख्या 3 ने अप्रार्थी संख्या 4 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 17.08.2021 के बेचान कर दिया तथा बेची गयी आराजीयात वर्तमान में एकमात्र अप्रार्थी संख्या 4 कंचनदेवी पत्नी श्री गोपाल जाट के कब्जे काश्त में चली आ रही है प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 7 के कथन जैसे वर्णित किये गये, कतई गलत एवं असत्य है अतः अप्रार्थी संख्या 3 को स्पष्ट रूप से अस्वीकार है प्रार्थीगण अपना कथन स्वयं सावित करावें। जहां तक आराजीयात का राजस्व रिकॉर्ड में नामान्तरण खुलाये जाने का प्रश्न है अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा अप्रार्थी संख्या 4 को आराजीयात विधिवत प्रतिफल के बदले सद्भाविक रूप से बेचान की गई है तथा अप्रार्थी 4 द्वारा आराजीयात का विधिवत रूप से कब्जा प्राप्त किया गया है तथा वह ही आराजीयात का विधिवत रूप से कब्जा प्राप्त किया गया है तथा वह ही आराजीयात पर काबिज है अतः अप्रार्थी संख्या 3 के स्थान पर अप्रार्थी संख्या 4 का नाम राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज किया जाना न्यायोचित है तथा जिस हेतु किसी भी प्रकार की धमकी अथवा उलाहने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। अप्रार्थी संख्या 4 को अपनी खरीद की गई आराजीयात को राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम कराये जाने हेतु समस्त कार्यवाहियां करने का पूर्ण हक प्राप्त है। इन सब विक्रय पत्रों को चेलेंज किये बिना प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जो चलने योग्य है।

अप्रार्थी संख्या 4 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 2 के कथन जैसे वर्णित किये गये यहां तक स्वीकार है कि आराजी खाता संख्या 123–66 खसरा नम्बर 592/202 व आराजी खाता संख्या 83–66 खसरा नम्बर 202 रकबा कुल 1.72 हैक्टर वाके ग्राम काबरिया में स्थित है शेष कथन जैसे वर्णित किये गये कतई गलत एवं असत्य ही अतः अप्रार्थी संख्या 4 को स्पष्ट रूप से अस्वीकार है प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का वाद वर्णित आराजीयात में कोई कब्जा, हक व अधिकार नही है वाद वर्णित आराजीयात को अप्रार्थी संख्या 4 ने अप्रार्थी संख्या 3 से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 17.08.2021 के खरीद कर उसका कब्जा प्राप्त किया है तथा आराजीयात वर्तमान में एकमात्र अप्रार्थी संख्या 4 कंचनदेवी पत्नी श्री गोपाल जाट के कब्जे काश्त में चली आ रही है तथा वह ही उसकी विधित खातेदार है वादग्रस्त आराजीयात पर प्रार्थीगण का कोई कब्जा है व न ही हक अधिकार है आराजी एकमात्र अप्रार्थी संख्या 4 के कब्जे काश्त में ... वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 4 द्वारा ही सरसों की फसल काश्त की गई है जो मौके पर खड़ी ... अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा अप्रार्थी संख्या 4 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.05.30 11:35:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner

पक्ष में करायी गयी रजिस्टी की सम्पूर्ण कावरिया ग्राम को पूर्ण जानकारी है तथा आराजीयात एकमात्र अप्रार्थी संख्या 4 के कब्जे में है। प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है तथा खारिज किये जाने योग्य है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया पक्षकारान के लायक अभिभाषकगण की बहस पर गोर किया। अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा आराजीयात को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र लादी देवी पत्नी रामदेव धाकड एवं मिथलेश कंवर पत्नी सुमेरसिंह राजपूत से खरीद कर उसका कब्जा प्राप्त किया था तथा अप्रार्थी संख्या 3 से पूर्व लादी देवी पत्नी रामदेव धाकड एवं मिथलेश कंवर ने उक्त आराजीयात को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के खरीद किया था तथा अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा अप्रार्थी संख्या 4 को उक्त आरातीयात जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र बेचान की गयी थी। सभी अप्रार्थीगणों को सक्षम न्यायालय में चुनौती पेश नही किया तथा सम्पुर्ण पुश्तैनी आराजीया मे केवल एक खसरा विशेष को चुनौती दी है जो प्रथम दृष्टया न्यायोचित नही है। बहस के तथ्यों से अप्रार्थी का केस मजबूत है और सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में है। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाने से अपूर्तनीय क्षति भी अप्रार्थीगण को ही होगी। लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज किया जाता है। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करे।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.05.30 11:35:25 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner